न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2022/276

1. हरिराम पुत्र स्वर्गीय मांगीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम डाबला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
2. झूमा पत्नि स्वर्गीय मांगीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम डाबला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–(1). अशोक वशिष्ठ– अधिवक्ता अपीलांट
(2). पैरोकार सरकार– रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांक 22.06.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 137/2016 मे पारित आदेश दिनांक 20.06.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण अपीलांटगण ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 441 रकबा 0.08 बिस्स्वा, खसरा संख्या 442 रकबा 0.09 बिस्वा, खसरा संख्या 723/443 रकबा 0.07 बिस्वा, खसरा संख्या 724/618 रकबा 0.12 बिस्वा, खसरा संख्या 778/683 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 780/709 रकबा 0.11 बिस्वा कुल खसरा 6 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा ग्राम डाबला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राजस्थान मे विस्थित है तथा राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थीगण का नाम उक्त कृषि भूमि के संबंध मे गैर खातेदार अधिकार मे दर्ज था। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के समक्ष तहसीलदार हिण्डोली द्वारा खसरा संख्या 724/618 रकबा 0.12 बिस्वा, खसरा संख्या 778/683 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा , खसरा सख्या 780/709 रकबा 0.11 बिस्वा कुल

खसरा 3 कुल के संबंध मे एक वाद संख्या 137/2016 प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद मे प्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 21.04.2016 को प्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश जारी कर प्रार्थीगण के स्वामित्व की उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 724/618 क्षेत्रफल 0.12 बिस्वा, खसरा संख्या 778/683 रकबा 1 बीघा 0.05 बिस्वा, खसरा संख्या 780/709 रकबा 0.11 बिस्वा को सिवायचक घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन कर दिया गया। प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है तथा अशिक्षित व्यक्ति है एवं अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति है। प्रार्थीगण को उक्त विधिक कार्यवाही का कोई ज्ञान नहीं था तथा प्रार्थीगण पर उक्त विधिक कार्यवाही के सम्मन विधिवत् रूप से तमील नहीं हुए और प्रार्थीगण की जानकारी के अभाव मे न्यायालय मे अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हो सके और प्रार्थीगण को सुने बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया गया। उक्त वर्णित विवादित कृषि भूमि के सिवायचक होने की जानकारी प्रार्थीगण को आज से करीब डेढ़ माह पूर्व हुई जब प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया और उनके द्वारा ऑन लाईन जमाबंदी का रिकॉर्ड देखा, जिस पर प्रार्थीग्ण को ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 724/618 रकबा 0.12 बिस्वा, खसरा संख्या 778/683 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 780/709 रकबा 0.11 बिस्वा को नामान्तरकरण संख्या 607 से सिवायचक दर्ज कर दिया गया जिस पर प्रार्थीगण ने उक्त नामान्तरकरण संख्या 607 की नकल प्राप्त करने हेतु विधिवत् आवेदन दिनांक 20.05.2022 को प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थीगण को उक्त नामान्तरकरण की नकल दिनांक 23.05.2022 को प्राप्त हो सकी। उक्त नामान्तरकरण को देखने के बाद प्रार्थीगण को ज्ञात हो सका कि प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.04.2016 से सिवायचक दर्ज कर दिया गया है जिस पर प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड कार्यालय हिण्डोली जिला बून्दी के समक्ष उक्त आदेश दिनांक 21.04.2022 की नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थीगण को उक्त वाद के तथ्यों की जानकारी हो सकी जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण उक्त वाद मे जानबूझकर उपस्थित नहीं हरे है बल्कि परिस्थितिवश अनुपस्थित रहे है। उक्त वाद मे प्रार्थीगण को अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर दिया जाना न्यायोचित है, अन्यथा प्रार्थीगण के साथ घोर अन्याय होगा। न्यायहित मे प्रार्थीगण के विरूद्ध किये गये एकपक्षीय आदेश दिनांक 21.04.2016 को निरस्त किया जाना आवश्यक है। अन्त मे प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 21.04.2016 को पारित एकपक्षीय आदेश निरस्त कर प्रार्थीगण को अपना पक्ष रख सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने का आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। दिनांक 21.04.2016 को पैरोकार सरकार अप्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी जाकर प्रार्थी अपीलांट को आवंटित

विवादित भूमि वाके ग्राम डाबला तहसील हिण्डोली की खसरा संख्या 724/618 क्षेत्रफल 0.12 बिस्वा, खसरा संख्या 778/683 रकबा 1 बीघा 0.05 बिस्वा, खसरा संख्या 780/709 रकबा 0.11 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 2.08 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.04.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रार्थीगण ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनिमय 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील सब्जेक्ट टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टको जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया । सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थी की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 का अवलोकन किया । न्यायहित मे अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

6. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, विधि एवं संचिता मे सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय न्यायिक दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से संवहनीय योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का न्यायिक रूप से अवलोकन विश्लेषण नहीं किया और भावनात्मक रूप से निर्णय कर प्रार्थी को दोषसिद्ध किया गया है। पूर्ण रूप से गलत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट के बचाव साक्ष्य का सही रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्याायलय का निर्णय दिनांक 21.04.2016 अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी खारिज किया जाकर प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार किये जाने का आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की।

7. पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.04.2016 मे कोई वैधानिक त्रुटि नहीं होकर कानून सम्मत है। अपीलांट प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय मे नियत तारीख पेशी की जानकारी होने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। विवादित भूमि पर आवंटि प्रार्थी अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। आवंटित भूमि पर कब्जा–काश्त नहीं होने से आवंटि द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लघन किये जाने से विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किये जाने निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अवधि बाहर होने से खारिज किया है। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2022 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

8. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न नोटिस दिनांक 04.03.2016 को जारी हुआ जिस पर हरिराम के हस्ताक्षर तथा झूमाबाई की अंगूठा निशानी अंकित है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि तामील प्रोपर नहीं हुई तथा ये हस्ताक्षर हरिराम के नहीं है। परन्तु हम अधिवक्ता अपीलांट के इस कथन से सहमत नहीं है, क्योकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.03.2016 पर अंकित है कि, "अप्रार्थीगण उपस्थित" तथा इसके सामने अप्रार्थीगण , हरिराम के हस्ताक्षर अंकित है तथा दूसरी अंगूठा निशानी अंकित है। अतः यह स्पष्ट है कि अपीलांट अप्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय मे चल रही कार्यवाही का संपूर्ण संज्ञान था तथा वे अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित भी हुए। परंतु वे आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.04.2016 को अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुए तथा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश किए गए। दिनांक 21.04.2016 को अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया। निर्णय दिनांक 21.04.2016 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट ने आदेश 9 नियम 13 के तहत दिनांक 20.06.2022 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को मियाद अवधि बाहर मानते हुए अस्वीकार कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 20.06. 2022 के विरूद्ध दिनांक 06.10.2022 को अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा इसके साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.04.2016 के विरूद्ध दिनांक 20.06.2022 को आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय मे लगभग 6 वर्ष 2 माह की अवधि पश्चात आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। लगभग 6 वर्ष से अधिक अवधि के विलम्ब से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मे इतनी लम्बी अवधि के विलम्ब का कोई समुचित एवं पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय मे वाद की जानकारी के पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद अवधि के बाद प्रार्थना–पत्र पेश करने के कारण प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर दिया। आदेशिका दिनांक 21.03.2016 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रकरण की जानकारी थी। अतः लगभग 6 वर्ष की अवधि

पश्चात आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के इस तर्क से सहमत है कि प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी बाद मियाद अवधि प्रस्तुत किया गया। मियाद अवधि का माफ करने का कोई स्पष्ट एवं पर्याप्त कारण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। लिमिटेशन एक्ट मे आदेश 9 नियम 13 सीपीसी प्रस्तुत करने की अधिकतम अवधि 30 दिवस है। प्रार्थी को वाद की जानकारी के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय मे लगभग 6 वर्ष 2 माह की अवधि के बाद प्रार्थन–पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र गंभीर रूप से अवधि बाधित था, अतः इस कारण प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जो उचित है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20.06.2022 से सहमत है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है, अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के प्रकरण संख्या 137/2016 मे पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.06.2022 यथावत रखा जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 22.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा